उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल

रिट याचिका संख्या 1415 सन् 2019 (एस/एस)

राजीव कुमार पाण्डेय ...याचीकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य ...उत्तरदातागण

उपस्थितः श्री अतुल बहुगुणा, याचीकर्ता की ओर से
श्री नारायण दत्त, राज्य की ओर से ब्रीफ होल्डर
श्री बी0डी0 कांडपाल, उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से
श्री दिनेश गहतोड़ी, इन्टर्वीनर की ओर से

तथा

रिट याचिका संख्या 1416 सन् 2019 (एस/एस)

शोभा जोशी ...याचीकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य ...उत्तरदातागण

उपस्थितः श्री अतुल बहुगुणा, याचीकर्ता की ओर से
श्री नारायण दत्त, राज्य की ओर से ब्रीफ होल्डर
श्री बी0डी0 कांडपाल, उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से
श्री दिनेश गहतोड़ी, इन्टर्वीनर की ओर से

निर्णय

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री रवीन्द्र मैठानी

प्रस्तुत याचिकाओं में विधि का समान प्रश्न उत्पन्न होता है अतः उपरोक्त याचिकाओं को इस निर्णय द्वारा निर्णित किया जा रहा है।

2. याचीकर्ता हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल (संक्षेप में ''विश्वविद्यालय'') से एसएससी (एडवान्स जीव विज्ञान) तथा शिक्षा विषय में स्नातक है। उत्तरदाता संख्या 2 लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड (संक्षेप में ''आयोग'') द्वारा प्रवक्ता हेतु विज्ञापन दिनांक 04.09.2018 को प्रकाशित किया गया जिसमें 71 पदों पर प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये। विज्ञापन के अनुसार पद के लिए योग्यता इस प्रकार थीः–

''(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान अथवा जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक की डिग्री।

3. दोनों याचीकर्ताओं के द्वारा उक्त पद के लिए आवेदन किया तथा प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुआ गया। दोनों ही याचीकर्ता लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। याचीकर्ताओं का यह मामला है कि आयोग द्वारा दिनांक 08.06.2019 को अयोग्य उम्मीदवारों की सूची जारी करी गयी तथा दोनों याचीकर्ताओं को इस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया कि उनके द्वारा (एडवांस जीव विज्ञान) में एस0एस0सी0 की डिग्री अर्जित करी है। याचीकर्ताओं द्वारा यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में एस0एस0सी0 (एडवांस जीव विज्ञान) विश्वविद्यालय द्वारा एसएससी (जीव विज्ञान) के लिए चलाये जाने वाला कोर्स है। तथा दोनों एक ही है। विश्वविद्यालय द्वारा इसे प्रमाणित किया गया, परंतु कोई कार्यवाही ना होने के कारण यह याचिकाएं प्रस्तुत करी गयी।

4. याचिकाएं सुनवाई हेतु दिनांक 25.06.2019 को प्रस्तुत करी गयी, जब इस न्यायालय द्वारा विवाद को तय करने हेतु विषय के विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया किः–

''पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क पर विचार करने के उपरांत एवं खण्डपीठ द्वारा याचिकाओं के समूह पर पारित निर्णय का अवलोकन करने के उपरांत, अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार जीव विज्ञान एवं एडवांस जीव विज्ञान की समतुल्यता का निर्णय हेतु विषय के विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति कर करेगी। उक्त कवायद पूर्ण होने पर, उपरोक्त समिति मामले में शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेगी, तथा विशेषज्ञ समिति के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार

निर्णय लेगी ताकि विसंगति को समाप्त किया जा सके तथा विवाद विषय समाप्त किया जा सके तथा वे विद्यार्थी जिन्होंने एस0एस0सी0 एडवांस जीव विज्ञान से उत्तीर्ण की है; उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े। समिति की रिपोर्ट आज से चार सप्ताह के अंदर दायर करी जाये।

इस मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाये।

इस बीच उत्तरदाता द्वारा आयोजित साक्षात्कार के अनुसार यदि कोई, चयन किया जाता है, तो वह रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।''

5. आयोग के द्वारा प्रति–शपथ पत्र दायर किया गया। आयोग के अनुसार प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्रवक्ता (जीव विज्ञान) पद के लिए योग्यता एम0एस0सी0 (वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान) तथा सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या डिग्री कालेज से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 डिग्री है। यह आयोग का तर्क है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास आवश्यक योग्यता नहीं है, इसलिए उन्हें दिनांक 08.06.2019 की सूची के अनुसार अपात्र घोषित किया गया था।

6. राज्य ने अपना प्रति शपथपत्र दायर किया। यह प्रस्तुत किया कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 25.06.2019 के अनुपालन में एक समिति का गठन किया गया था तथा समिति द्वारा रिपोर्ट दी गयी थी कि ''एम0एस0सी0 (एडवांस जीव विज्ञान) और एम0एस0सी0 (जीव विज्ञान) का पाठ्यक्रम 90 प्रतिशत समान है, ऐसे एम0एस0सी0 (एडवांस जीव विज्ञान) को एम0एस0सी0 (जीव विज्ञान) के समकक्ष माना जा सकता है।'' आयोग की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। राज्य के अनुसार, विशेषज्ञ की रिपोर्ट के पश्चात, राज्य सरकार ने आयोग को 28.01.2020 को विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष के अनुसार परिणाम घोषित करने के लिए लिखा गया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि इस न्यायालय के दिनांक 25.06.2019 के आदेश के अनुसरण में विशेषज्ञ समिति द्वारा विवाद का निर्धारण कर लिया गया है, जिसने यह राय व्यक्त की है कि एम0एस0सी0 (एडवांस जीव विज्ञान) और एम0एस0सी0 (जीव विज्ञान) को समकक्ष कहा जा सकता है और उसके

बाद, राज्य ने आयोग से समिति के निष्कर्ष के अनुसार परिणाम घोषित करने का भी अनुरोध किया है। अतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि राज्य के दिनांक 28.01.2020 के संचार के अनुसार, भर्ती के मामले में आयोग को आगे बढ़ने का निर्देश देते हुए, रिट याचिकाओं पर तदनुसार निर्णय लिया जा सकता है।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने 2018 की रिट याचिका (एस/बी) संख्या 583, राहुल सैनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य संबंधित मामलों में दिए गये फैसले पर भी बल दिया, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2019 को तय किया गया था। दरअसल, राहुल सैनी (ऊपर) के मामले में विवाद एमएससी (अनुप्रयुक्त) गणित और एमएससी (गणित) की समकक्षता को ले कर था। उस मामले में भी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसने दोनों पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम की जांच के बाद यह राय दी कि एमएससी (अनुप्रयुक्त गणित) और एमएससी (गणितीय विज्ञान), एमएससी (गणित) के समकक्ष है। तदनुसार उस मामले में आयोग को परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया था।

10. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि, खेल के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। न्यायालय समकक्षता का निर्णय नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता नियमानुसार योग्य नहीं थे।

11. आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभी तक साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया है तथा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 28.01.2020 द्वारा आयोग को परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया है, जो नहीं किया जा सकता है। यदि मामले को आगे बढ़ाना है तो भी सबसे पहले इंटरव्यू लेना होगा।

12. निस्संदेह खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। वास्तव में, पहले भी रिट याचिका संख्या 905 सन् 2006 (एस/एस), देवेन्द्र कुमार मिश्रा और अन्य बनाम राज्य और अन्य में, एमएससी (प्लांट साइंस) तथा एमएससी (वनस्पति विज्ञान) की समकक्षता के संबंध में एक विवाद उठाया गया था। उस मामले में भी न्यायालय को एक रिपोर्ट दी गई थी कि एमएससी (प्लांट साइंस) व एमएससी (वनस्पति विज्ञान) के पाठयक्रम व विषय वस्तु समकक्ष है। लेकिन उस मामले में न्यायालय ने कहा था कि

''इस पत्र की बारीकी से जांच से पता चलता है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अपनी ओर से यह घोषित नहीं किया है कि एमएससी (प्लांट साइंस) वास्तव में एमएससी (वनस्पति विज्ञान) की डिग्री के बराबर है। एमएससी (प्लांट साइंस) में एमएससी (वनस्पति विज्ञान) के समान या भिन्न कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं उस पर भी चर्चा नहीं करी गयी है। इसके अलावा न्यायालय ने देवेन्द्र कुमार मिश्रा (ऊपर) के मामले में रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ''आयोग संबंधित नियमों में उल्लिखित योग्यताओं से बंधा है।''

13. अजीत के और अन्य बनाम अनीश के0एस0 और अन्य (2019) 17 SSC 147 के मामले में कुछ उम्मीदवारों, जिनके पास अलग–अलग योग्यतायें थी, ने एक पद के लिए आवेदन किया और जब आपत्ति की गई तो यह तर्क दिया गया कि उम्मीदवारों की योग्यता पद के लिए योग्यता से अधिक थी। लेकिन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था। कोर्ट ने प्रतिपादित किया कि ''राज्य सरकार के किसी कार्यकारी या स्थायी आदेश द्वारा योग्यता की समानता का कोई निर्धारण नहीं किया गया था। न ही ऐसा कोई निष्कर्ष था कि डीएचआईसी निम्न योग्यता का अधिग्रहण करता है। केपीएससी द्वारा नियम के प्रावधानों के अनुसार कोई अभ्यास नहीं किया गया है।''

14. आनंद यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, AIR 2020 SC 5383 के मामले में, एम0ए0 (शिक्षा) और एम0एड0 के समकक्षता का प्रश्न उठा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले, एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि दोनों पाठयक्रम समकक्ष है। ऐसा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। उस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, ''यह ना तो मुकदमा लड़ने वाले पक्षकार, यानी प्रतिवादी नंबर 3 के लिए और ना ही इस न्यायालय के लिए है कि विशेषज्ञों के फैसले पर अपील की अदालत के रूप में बैंठे।''

15. तथ्य यह है कि आनंद यादव (उपरोक्त) के मामले में शुद्धिपत्र तब जारी किया गया था जब आवेदन पत्र भरने का समय था।

16. श्रीदीप चटर्जी बनाम गोपा चक्रवर्ती और अन्य, (2019) 15 एस एस सी 59 के मामले में, एक विशेष पद के लिए आवश्यक योग्यता योग/योग थैरेपी में परास्नातक, कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ योग/योग थैरेपी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के

साथ शारीरिक शिक्षा में परास्नातक थी। एक अभ्यर्थी के पास योग शिक्षा में डिप्लोमा था उसे नियुक्त किया गया। उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी गयी। जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तो यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चयन समिति के लिए चयन मानदंड को बीच में बदलने की अनुमति नहीं थी। चूंकि, पात्रता की शर्त किसी विशेष उम्मीदवार द्वारा पूरी नहीं की गई थी, इसलिए उसे आवश्यक योग्यता के समकक्ष मानते हुए नियुक्त नहीं किया जा सकता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि, ''यह नियमों या पात्रता मानदंड में बीच में बदलाव नहीं है, यह विज्ञापन की पात्रता शर्त को पूरा करने का प्रश्न है जिसे विशेषज्ञ समिति ने तय किया है।'' माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और नियुक्ति को बरकरार रखा। पैरा 15 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:—

> ''15. दूसरी ओर, उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय चयन प्रक्रिया के मध्य में पात्रता मानदंड में परिवर्तन के संबंध में है। वर्तमान मामले में ऐसा तथ्य नहीं है। विज्ञापन में निर्धारित योग्यता वही रहती है अर्थात योग या योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। यह केवल योग शिक्षा में डिप्लोमा है जिसे योग या योग चिकित्सा डिप्लोमा के समकक्ष माना गया है। न ही केवल चयन समिति ने अपीलकर्ता को उपयुक्त पाया है, बल्कि विद्वान एकलपीठ के निर्देशों के अनुसार गठित समकक्ष समिति ने भी अपीलकर्ता के डिप्लोमा को विज्ञापन की आवश्यकता को पूरा करने वाला पाया है। इसलिए, एक बार जब विशेषज्ञों ने यह निर्णय ले लिया कि अपीलकर्ता विज्ञापन की पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द नहीं कर सकता था।''

17. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय ने, जैसा कि कहा गया है, दिनांक 25.06.2019 को, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त करके समानता के विवाद को तय करे। विशेषज्ञों के पैनल ने एक रिपोर्ट दी है कि एम0एस0सी0 (एडवांस जीव विज्ञान), एम0एससी0 (जीव विज्ञान) के समकक्ष है। इसके अनुसरण में, राज्य सरकार ने पहले ही मामले में आगे बढ़ने के लिए आयोग को लिखा था। यह पात्रता मानदंड को बीच में बदलने का मामला नहीं है। श्रीदीप चटर्जी (ऊपर) के मामले में आए फैसले को देखते हुए यह वास्तव में विज्ञापन की शर्त तय कर रहा है, जिसे विशेषज्ञ समिति ने निर्धारित किया है और राज्य ने स्वीकार किया है। राज्य नियोक्ता है। योग्यता में बदलाव नहीं किया गया है।

18. पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाएं स्वीकार किये जाने योग्य हैं और आयोग को दोनों याचिकाकर्ताओं को पद के लिए योग्य मानते हुए मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया जा सकता है।

19. दोनों याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को प्रवक्ता (जीव विज्ञान) के पद पर चयन/नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है। आयोग को मामले में आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रवीन्द्र मैठानी)
23.09.2022